

भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 123
30 नवंबर, 2015 को उत्तर के लिए

खानों का नीलामी

123. श्री आनंदराव अडसुलः
श्री ए. अण्णमण्णदेवनः
श्री आधलराव पाटिल शिवाजीरावः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री धम्मयादवः

श्री खान मंत्री यह बताने का कृपा करखो कि:

- (क) क्या केवल सरकार ने राज्य का ओर से लौह अयस्क, बॉक्साइट और चूना पत्थर जैसे खनिज खनिज का खानों का नीलामी आयोजित करने का प्रणय किया है;
- (ख) यदि हां, तो क्या संबंधित राज्य ने का सरकार के उक्त प्रताव पर सहमत दे द है;
- (ग) यदि हां, तो तसंबंधी यौरा क्या है और यदि नहं तो राज्य/संघ राज्य ँ-वार इसके क्या कारण है; और
- (घ) क्या का सरकार ने नीलामी किए जाने वाले खानों का सवण किया है और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य-वार प्रथम चरण मनीलामी के लिए कतनी खानोंघिनित का गई है?

उत्तर

खान एवं इपात राज्य मंत्री (श्री वणु देव साय)

(क) से (ग) : जी नहं । एमएमडीआर अधिनयम 1957 और उसके तहत बने नियम के प्राधान के अनुसार राज्य वयं खनिजों का नीलामी करते है ।

(घ) : राज्य सरकार ने, उनके साथ का गई खनिज बैठक और चर्चाओं म उनके द्वारा नीलाम किए जाने वाले ब्लॉक के बारे म बताया है । संबंधित राज्य द्वारा नीलामी के लिए पहचान किए गए खनिज ब्लॉक का नवीनतम सूचना अनुबंध म द गई है ।

पहले चरण मनीलाम के लिए पहचान कर गई खानक संया, राय-वार

राय	पहले चरण मनीलामी किए जाने वाले ढलक
गुजरात	5 ढलक
मय देश	5 ढलक
ओछशा	10 ढलक
झारखंड	3 ढलक
कनाटक	15 ढलक
छतीसगढ	5 ढलक
राजथान	11 ढलक
महारा	9 ढलक
कुल	63 ढलक